Title: Need to review National Security Act with a view to remove defects in it.

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, आपका ध्यान राट्रीय सुरक्षा कानून (एन.एस.ए.) के औचित्य एवं दुरुपयोग की तरफ सदन एवं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे संसदीय फूलपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जिला इलाहाबाद के उतरांव थाना के अन्तर्गत चका, दमगढ़ा एवं उतरांव गांव के अल्पसंख्यक लड़कों को मनगढंत कहानी बनाकर 4/5 मार्च की रात फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर 22 मार्च को जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा राट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है, जो कि इस कानून के उद्देश्य एवं औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार युवकों पर गिरफ्तारी के पूर्व किसी भी तरह की एफ.आई.आर. घटना के पूर्व कभी दर्ज नहीं है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि थाना उतरांव जिला इलाहाबाद घटना की सी.बी.आई. से जांच कराकर निरपराध युवकों को छुड़ाने एव दोाी अधिकारियों को दंडित करने का कट करें तथा राट्रीय सुरक्षा कानून की खामियों को दूर करने के लिए इसकी समीक्षा की जाये।